भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1583

(31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब

1583 श्री केसरीदेवसिंह झाला:

डा. संदीप कुमार पाठक:

श्री मनन कुमार मिश्र:

श्री संजय भाटिया:

श्री राजीब भट्टाचार्जी:

श्री शंभू शरण पटेल:

श्री सुभाष बराला:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनरेगा के कामगारों को मनरेगा के निरसन की तिथि (30 जून, 2026) तक अप्रदत्त विलंबित क्षतिपूर्ति की कुल राशि का, बिहार सहित, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी वीबी-जी राम-जी ढांचे के अंतर्गत अपने एमआईएस, आधार सीडिंग तथा निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) प्रणाली का अवस्थांतर पूर्ण करने वाले राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पूर्ववर्ती मनरेगा के अंतर्गत लंबित अथवा रुके हुए कार्यों का ऐसा कोई आकलन किया गया है, जिन्हें नए अधिनियम की चार विषयगत कार्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनः अनुमोदन अथवा पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II के प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी की मांग करने वाले श्रमिकों को मस्टर रोल बंद होने की तिथि से पंद्रहवें दिन के पश्चात मजदूरी के भुगतान में होने वाले

प्रत्येक दिन के विलंब के लिए अवैतनिक मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।

क्षतिपूर्ति के देय भुगतान की राशि का विधिवत सत्यापन एवं अनुमोदन किए जाने के उपरांत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विलंब के लिए देय क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) से (घ): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ट्रैन्ज़िशनल नियम, 2026 के नियम 6 के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का ब्यौरा वीबी-जी राम जी में स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वीबी-जी राम जी के अंतर्गत उपलब्ध रोजगार के अवसरों की बिना किसी विलंब के मांग कर सकें तथा उनका लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, समयबद्ध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वीबी-जी राम जी तथा डीबीटी स्पर्श पर ऑन-बोर्ड कर दिया गया है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत ट्रैन्ज़िशनल नियम, 2026 के नियम 5 के अनुसार, ट्रैन्ज़िशन की तिथि पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों को उनकी पूर्णता हेतु वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए कार्यान्वयन ढांचे के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुबंध

राज्यसभा में दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1583 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 तथा 2026-27 (दिनांक 28.07.2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार श्रमिकों को विलंब के लिए देय क्षतिपूर्ति का ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य	2024-2025	2025-2026	2026-2027
		देयता [रु में]	देयता [रु में]	देयता [रु में]
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	105502	842789	215
4	असम	40463	715414	17405
5	बिहार	71065	659404	17488
6	छत्तीसगढ	7	363	0
7	दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव	0	0	0
8	गोवा	149242	45003	3769
9	गुजरात	2339	8665	18
10	हरियाणा	9383	3400	32
11	हिमाचल प्रदेश	1047	8111	202
12	जम्मू और कश्मीर	842254	971173	5438
13	झारखंड	395	18323	139
14	कर्नाटक	16846	60669	994
15	केरल	1361	33176	1454
16	लद्दाख	173	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	84665	462889	11019
19	महाराष्ट्र	2637231	2716427	154295
20	मणिपुर	693591	115085	29806
21	मेघालय	10	205	0
22	मिजोरम	5579	15	0
23	नागालैंड	99	0	0
24	ओडिशा	62	70001	0

25	पुदुचेरी	0	0	0
26	पंजाब	338872	2349878	39248
27	राजस्थान	3967	120861	390
28	सिक्किम	105	7046	839
29	तमिलनाडु	0	20	0
30	तेलंगाना	97	2573	3
31	त्रिपुरा	0	9	0
32	उत्तर प्रदेश	170180	2340483	364278
33	उत्तराखंड	1018	570	6
34	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल	5175553	11552552	647038

नरेगासॉफ्ट के अनुसार
